be nominated to the said Joint Committee to fill the vacancies.

V

565

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendments made by Rajya Sabha in the **Bharat** Petroleum Corporation Limited (Determination of conditions of Service of Employees) Bill, 1988, at its sitting held on the 8th August, 1988, were taken into consideration and agreed to by Lok Sabha at its sitting held on Wednesday, the 31st August, 1988: —

Clause I

- 1. That at page 1, *for* lines 9-10 the following be *substituted* namely:—
- "1. (1) This Act may be called the Bharat Petroleum Corporation Limited (Determination of Conditions of Service of Employees) Act, 1988.
- (2) It shall be deemed to have come into force on the 2nd day of July, 1988."

New Clause 4

- 2. That at page 3, *after* line 20, the following be *inserted*, *namely:*
 - "4. (1) The Bharat Petroleum Corporation Limited (Determination of Conditions of Service of Employees) Ordinance, 1988, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken un-der the said Ordinance shall be deemed to have beet done or taken under the corresponding provisions of this Act." Sir, I lay a copy each of the Bills mentioned at (I) and (II) above on trie Table.

ANNOUNCEMENT REGARDING ALLOCATION OF TIME FOR DISPO-SAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT-YA PRAKASH MALAVIYA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 31st August, 1988, allotted time for Government legislative business as fol-lows:_

Business Time allotted hrs.

1 Consideration and passing of the Defamation Bill, 1988, as passed by

4

2 Consideration and passing of the Auroville Foundation Bill, 1988

The Committee also recommended that the House may sit on Friday, the 2nd September, 1988 and the Private Members' Business (Resolutions) scheduled for Thursday, the 1st September, 1988 may be taken up on that day. Thursday, the 1st September, 1988 may be devoted to

ransaction of Government business.

The Committee further recommended that in order to complete Government legislative and other business, the present Session of the Rajya Sabha be extended by one day and accordingly, the House

[RAJYA SABHA]

[Shri Satya Prakash Malaviya] shquld sit on Tuesday, the 6th September, 1988.

MOTOR Vehicles Bill 1988—c»ntd.

थी मोहस्मद स्रमोन (पश्चिमी बंगाल) : मि० वाइस चेयरमैन सर मोटर व्हिकल्ज बिल के ऊपर जो बहस इस वक्त हो रहो है जिसके बारे में मैं यह कहना चाहता हं कि 1939 में कान्त बना या उसके करीबन 50 सल के बाद एक कंत्रीहैंसिव बिल ग्राया है। .. [The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.]

इस बीच में कई तरमीमात हो चकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजुदा हालात का मुकाबला करने के लिए जो पुराने कानुन वे वे काफी नहीं है ग्रीर इस एतवार से मंत्री जी यह जो बिल लाये हैं इसका स्वागत किया जायेगा । लेकिन यह बात सही है कि इस वका रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिन हालात से गजर रही है उनका बहुत अच्छी तरह अहाता इस बिल में नहीं किया जा सका। मिसाल के तौर पर सड़क परिवहन की अहमियत हमारे देश की अर्थ नीति में इस वक्त बहुत बढ़ गई है, अनाज की पैदावार बढ़ गई है, लोगों के जाने-म्राने का मामला बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है सड़कें ज्यादा बन रही हैं, इस एतबार से इसकी अहमियत रेलवे से अगर ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। लेकिन जो सब से पेचीदा सवाल है वह है मिलकियत का सवाल । ज्यादातर गाडियां प्राइवेट सैक्टर में हैं ग्रीर खास करके सामान ले जाने वाली गाड़ियां, ग्रीर एक्सीडेंट्स बहत हो रहे हैं। एक्सीडेंटस का जो रेश्या है वह मेरे ख्याल में हमारे देश में जितने हादसे होते हैं इसकी मिसाल और कहीं मुश्किल से मिलेगी । इन एक्सीडेंट्स के क्या वजुहात हैं ? इसके वजहात में पहली वजह तो ड्राईवर की टेनिंग की है। ड़ाईवरों को जो टेनिंग दी जाती है इसके सभी स्कूल प्राइवेट सैक्टर में हैं ग्रीर ये स्कूल मुनाफें के लिए चलाए जाते हैं । उसमें कोई भी ग्रादमी जा कर ग्रीर कुछ पसे दे करके कम से कम मुद्द में भी लाईसेंस

हासिल कर लेता है, लेकिन अगर गाडी चलाने का काम अच्छी तरह न सीखे तो हादसे की एक वजह तो यह हो सकती है। 6.00 P.M.दूसरी क्या है कि टेक्नीकल ट्रेनिंग

के अलावा ड्राइवरों की जेहनी तरबीयत भी होनी चाहिए । ग्राज जेहनी तरबीयत की कमी बहुत महसूस की जा रही है। मसलन अकसर हादसे होते हैं, उसके बाद ड़ाइवर की भी मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब मिलती है तो पता चलता है कि डाइवर नशे में था। इसके लिए हमारे देश में शराब पीने के खिलाफ मृहिम चलाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का जो यहां क्लाइमेट है, जो मौसमी हालात है, उस एतवार से भी शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है ग्रौर ग्रब तो मेड कल साइंस भी कहत है विः यह चीज सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ड़ाइवर सब के बारे में तो नहीं अक्षसर ड्राइवरों के बारे में यह णिकायत सुनी जाती है कि वह णराव पीने का छादी है। इसकी एक वजह यह है कि उनके काम करने की कोई मियाद मकर्रर नहीं है । इस बिल में यह एक ग्रन्छी बांत है कि दफा 91 में यह कहा गया है कि ड्राइवरों के लिए पांच घंटा काम करने के बाद अधा घण्टा ग्राराम का बंदोबस्त होना चाहिए उनसे रोजाना ग्राठ घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। इस चीज की डिमांड बहुत दिनों से की जा रही थी। हो सकता है, इससे भी जो लोग, ग्रोवर वर्क जिसको कहते हैं, या ज्यादा थकान के कारण गराव पीने की तरफ जाना चाहते हों, वे बच सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ड़ाइवर को रखा गया है, मेरी सलाह है कि डाइवर के ग्रलावा जो कंडक्टर, क्लीनर, हेल्पर, लोडर गाड़ी में होते हैं, उनको भी इसमें लेना चाहिए कि उनसे भी ग्राठ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए । ड्राइवर ठीक है गाड़ी चलाता है, लेकिन और लोग भी गाड़ी में होते हैं। ग्रगर केवल ड्राइवर के लिए ग्राठ घंटे के काम का बंदोबस्त करेंगे तो जो गाड़ी का मालिक होगा, वह चालाकी से कानन को मानते हुए ड़ाइवर पर अमल करेगा और दूसरे से